निर्णय बइजलास श्री दिव्यांशु शर्मा आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा उद्घोषित

प्रकरण नं. 43/21 प्रा.पत्र
दायरा दिनांक:- 20.7.2021
निर्णय दिनांक:- 18.11.21

उनवान

1. चन्द्रप्रकाश पुत्र बैजनाथ जाति मीणा
2. कृष्णमुरारी पुत्र बैजनाथ जाति मीणा निवासी बमूलिया (गजनपुरा) बारां

बनाम

नानग पुत्र स्व. श्री देवीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम बमूलिया (गजनपुरा) तह० बारां जिला बारां

प्रा.पत्र धारा- 212 RTA

निर्णय दिनांक :- 18.11.21

उपस्थित अभिभाषक :- 1. श्री नरेन्द्र कुमार लोधानी - प्रार्थी
2. श्री ओम प्रकाश मेहता II - अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA विरुद्ध अप्रार्थी गण के न्यायाo में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी क्र. 2 गूंगा है तथा बोलने में असमर्थ है एवं अविवाहित प्रार्थी क्र. 1 के साथ रहकर अपनी परवरिश पा रहा है दोनों के हित समान है एवं एक दूसरे के विपरीत नहीं है। प्रार्थीगण के खाते की आराजी वाके ग्राम बमूलिया तह० बारां के ख.नं. 152 रकबा 2.16 हे. ख.नं. 154/606 रकबा 0.01 हे० ख.नं. 756/154 रकबा 0.03 हे. कुल 3 किता रकबा 2.20 हे. भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी 2073-76 के अनुसार दर्ज है। उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी क्र. 1 के नाम [illegible] के नाम 1/8 हक एवं हिस्से के रूप में दर्ज है तथा प्रार्थीगण उक्त [illegible] अपने-अपने हक हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त [illegible] उक्त आराजी में जबरन अप्रार्थी आये दिन व्यवधान उत्पन्न करता है एवं प्रा[illegible]गण को उक्त आ[illegible] काश्त नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:33:39 IST
Reason: SelfAttested

लगातार - 2

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

करने देना तथा लड़ाई-झगड़ा करते हुए प्रार्थीगण की आराजी पर कब्जा करने को प्रयासरत है जिसका अप्रार्थी को कोई विधिक हक हासिल नहीं है उक्त खाते में अप्रार्थी का न तो कोई नाम है और ना ही कोई हिस्सा उसके नाम दर्ज है फिर भी अप्रार्थी जबरन प्रार्थीगण के हक हिस्से पर व्यवधान पैदा कर ख.नं. 152 रकबा 2.16 हे. की भूमि पर जबरन काश्त करने पर आमादा है जिसका उसको कोई अधिकार हासिल नहीं है इस कारण प्रार्थीगण अप्रार्थी के विरुद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है कि वह प्रार्थीगण के खातेदारी की आराजी ख.नं. 152 रकबा 2.16 हे. में किसी भी प्रकार अड़ाखलत बाधा एवं व्यवधान न तो स्वयं कारित करे एवं ना ही अपने एजेन्टों अथवा हित प्राप्तिधियों से करावे। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ठोस तथ्यों पर आधारित है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है अप्रार्थी गण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो प्रार्थी को भारी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी मौद्रिक पूर्ति किसी भी रूप से संभव नहीं है एवं प्रार्थीगण को लम्बी खर्चीली एवं उलझनपूर्ण, मुकदमें बाजी से गुजरना पड़ेगा तथा प्रार्थीगण का जीवन बेकार हो जायेगा प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजि. कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रा-पत्र मय काउन्टर क्लेम पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा जवाबुल जवाब पेश किया गया साथ ही प्रार्थी गण ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम बमूलिया संवत 2073-76 खाता 128, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम बमूलिया, नकल जमाबंदी ग्राम बमूलिया संवत 2073-76 खाता नं. 72 पेश किया गया। तथा प्रार्थी गण द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी मौजे ग्राम बमूलिया में स्थित है मुताबिक रिकार्ड प्रार्थी गण अपने हिस्से अनुसार कब्जे काश्त करते चले आ रहे है। नक्शा के हिसाब से अप्रार्थी मार्ग है जबरन मार्ग बनाया है मार्ग का अर्थ पर नहीं है कि [illegible] को मान्यता नहीं है वह विधि कर [illegible] रकबा है खाता नं. 72 में [illegible] किया है व इसका नाम नहीं है इसके [illegible] प्रार्थी गण और विधि व्यवधान खाता अलग-अलग है [illegible] उत्पन्न करता रहता है प्रार्थी को उक्त आराजी पर काश्त नहीं करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:33:39 IST
Reason: SelfAttested

लगातार- 3

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

देता है, अप्रार्थी जय प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि पर जबरन
जबरन कब्जा पेश करता है अप्रार्थी ख.नं. 152 रकबा 2.16 हे. की भूमि
पर जबरन काश्त करने को आमादा है, जिसका कोई अधिकार
नहीं है प्रार्थी की आराजी पर जबरन कब्जा नहीं करे इस हेतु
अप्रार्थी को जाय स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी के अलावा ग्राम बरखेड़ा के खाता नं. 71 के कुल ख.नं. 5 किता रकबा 4.37 हे. भूमि स्थित है खाता नं 71 व 128 कुल आराजीयात रूगीया बैजनाथ जी के विरासत से प्राप्त हुई है, बैजनाथ जी द्वारा अपने तीनों पुत्रों को बाहमी बटवारा कर दिया था उनके मुताबिक ख.नं. 152 रकबा 2.16 हे. बाहमी बटवारे के अनुसार रूगीया देवीलाल को प्राप्त हुई थी कृष्णमुरारी गूंगा होने के कारण उसकी अपने पिता बैजनाथ जी की पत्नी कस्तूरीबाई ही करती थी कृष्णमुरारी कस्तूरी के देहान्त तक उनके पास रहा। कस्तूरीबाई के देहान्त के बाद कृष्णमुरारी को जहां अच्छा लगता था रहा रहता था। विवादित आराजी प्रार्थी की के पिता को बाहमी बटवारे से प्राप्त हुई थी उस पर ही अप्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी जय अप्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। प्रार्थी गण को पाबन्द किया जावे कि वह अप्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन कब्जा काश्त नहीं करे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम बरखेड़ा संवत 2073-76 खाता नं. 128 के अनुसार कृष्णमुरारी हि 1/8, बैजनाथ हि 3/4 एवं मदनलाल हि 1/8 दर्ज रिकार्ड है इससे यह साबित होता है कि ख.नं. 152, 154/606, 756/154 की भूमि में वादी का / का 3/4 व वादी का 2 का 1/8 एवं मदनलाल पुत्र किशनलाल का हिस्सा 1/8 दर्ज रिकार्ड है प्रार्थी। अप्रार्थी का उक्त विवादित आराजी में कहीं नाम दर्ज नहीं है प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है [illegible] है कि वादी एवं प्रार्थी वादी / अप्रार्थी के मध्य हुए [illegible] बाहमी बटवारे के माध्यम से हो चुका [illegible] - अलग अलग दर्ज है अप्रार्थी द्वारा ख.नं. 152 की भूमि [illegible] खातेदारी एवं कब्जा काश्त से

लगातार-4

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 16:33:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

होने बाबत कोई रिकार्ड व दस्तावेज शामिल पेश नहीं किया जिससे विवादित आराजी पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त व खातेदारी में साबित हो सके। अप्रार्थी का काउन्टर क्लेम खारिज कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी व अप्रार्थी गण को मूल वाद के निर्णय तक कब्जे काश्त मे बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अप्रार्थी का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम बमूलिया तह० बारां की आराजी ख०नं० 152 रकबा 2.16 हे० पर - अप्रार्थी व प्रार्थी गण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के मूल वाद के निर्णय तक पाबन्द किया जाता है कि उक्त आराजी पर मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

निर्णय लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(दिव्यांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
बारां
उपखण्ड अधिकारी बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:33:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner